प्रारूप - 30.1

ANNEXURE-1

# OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
# DISTRICT ALMORA (U.K)

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes &other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date 01.12.14 at time 11.10AM at Almora in which application claiming rights in **khadau** area measuring **2.3500 hec.** for the **for Construction of Shahid Mohan Singh Motor Road to Basoli (5.00 km.)** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Almora** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

01.12.14

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

Place; Almora

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

प्रक०4-30

# FORM-1

## Government of Uttarakhand

## Office of the District Collector: Almora

No.........................                                                                 Dated..29/09/2014........

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 2.3500 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of C.D P.W.D Almora Uttarakhand **for Construction of Shahid Mohan Singh Motor Road to Basoli (5.00 km.) Construction Division P.W.D. (purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Bhainsora, Churadi, Gangola, kotuli, khadau Village (s) in Someshwar tahsils.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 2.3500 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.

**Encl: As above**

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

29.09.14
Signature
**(Vinod Kumar Suman)**
**District Collector, almora**
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

**It is further certified that**

| S.No. | | Remarks |
|---|---|---|
| (a) | The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 2.3500 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee (s) and the District level Committee are enclosed as annexure I to annexure. | Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers. |
| (b) | The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it. | Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file |
| (c) | The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities | Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. |

**Encl: As above**

29.09.14

Signature

**(Vinod Kumar Suman)**

**District Collector, almora**

जिला अधिकारी

अल्मोडा

जिला समाज कल्याण अधिकारी

अल्मोड़ा

यप्र4-30

# FORM-II

## Government of Uttarakhand

## Office of the District Collector: Almora

No........................ Dated..........................

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that **2.3500** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Construction Division P.W.D Almora Uttaratakhad for Construction of Shahid Mohan Singh Motor Road to Basoli (5.00 km.) in Almora district falls within jurisdiction of Bhainsora, Churadi, Gangola, kotuli, khadau Village (s) in Someshwar tahsils.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **2.3500** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure ........ to annexure.............

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given t heir consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Bhainsora, Churadi, Gangola, kotuli, khadau** villages (s) is enclosed as annexure ........

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was s quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES

(f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

**Encl: As above**

01/3/14

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

Vinod kumar suman
District Collector, Almora

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
अल्मोड़ा

**प्रपत्र–23**

# परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी0)

## वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

**ग्राम पंचायत का नाम–**

**तहसील–सोमेश्वर, जिला–अल्मोड़ा**

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में **जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5 किमी0)** परियोजना के निर्माण हेतु 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, **2.3500 हे0** सिविल सोयम भूमि तथा वन पंचायत भूमि **0.00 हे0** अर्थात कुल **2.3500 हे0** वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चुराड़ी द्वारा दिनांक 09/12/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **खड़ाऊ, गंगोलाकोटली, चुराड़ी, भकुना, बसोली, भैंसाड़ी आदि ग्रामों** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

बचुली देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत चुराड़ी
वि० ख० – ताकुला
जिला – अल्मोड़ा

**ग्राम सचिव** **ग्राम प्रधान**

# प्रपत्र–23.1

दिनांक 9/11/14.......... को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

| कमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1-<br>2-<br>3- | भगवतसिंह कार्की<br>गोविन्दसिंह भोज<br>दीवानसिंह कार्की | [illegible]<br>दीवानसिंह<br>शिव सिंह भोज |
| 4-<br>5-<br>6- | शिवसिंह भोज<br>महेन्द्र सिंह कार्की<br>सुन्दरसिंह कार्की | [illegible]<br>[illegible] |
| 7-<br>8-<br>9- | जगदीसिंह बिष्ट<br>गोपाल राम<br>महेश सिंह बिष्ट | जगदीश सिंह बिष्ट<br>Gopalram [illegible] |
| 10-<br>11-<br>12- | शंकर सिंह कार्की<br>श्रीमती लक्ष्मी देवी प्रधान<br>गोविन्दसिंह भोज | Shankar Singh<br>गोविन्द सिंह भोज |
| 13-<br>14-<br>15- | विरेन्द्रसिंह कार्की<br>बलवन्तसिंह कार्की<br>सुरेशसिंह कार्की | बलवन्त सिंह<br>Suresh |
| 16-<br>17-<br>18- | तिलराम<br>पूरनराम<br>हरीशसिंह | तिलराम<br>पूरन राम |
| 19- | हिम्मतसिंह | हरीश सिंह |
| | | |
| | | |

लक्ष्मी देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत गंगोलाकोटुली
वि०ख० [illegible] (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान

महोदय,
प्रमाणित किया जाता है कि गंगोलाकोटल से बसौली शहीद मो हनासिंह मोटर मार्ग को ग्रामीणों की सुविधानुसार नहर से नीचे किया जाय। भौगोलिक परिस्थिति के कारण गांव दो भागों में बंटा होने से ग्रामीणों की सुविधानुसार किया जाय इस पर ग्रामीणों को कोई आपत्ति नहीं है।

1— भगवतसिंह

# प्रपत्र–23.2

## परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी0)

### कार्यालय उप जिलाधिकारी, सोमेश्वर

### अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, सोमेश्वर

उपखण्ड **सोमेश्वर** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5 किमी0)** (**2.3500 हे0** सिविल सोयम भूमि तथा वन पंचायत भूमि **0.00 हे0** अर्थात कुल **2.3500 हे0** वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सोमेश्वर) की दिनांक 9/6/12 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्री नन्दन सिंह नगन्याल,** उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– **श्री नन्दन सिंह नगन्याल,** उपजिलाधिकारी, सोमेश्वर अध्यक्ष

2– **श्री भगवत सिंह जीना,** उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य

3– श्री शैलेन्द्र पाण्डे सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य/सचिव [signature]

4– महेन्द्र राम बी0डी0सी0 क्षेत्र हिनौला सदस्य। [signature]

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5 किमी0)** नि0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित **उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा,** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड 2/12/14......... परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5 किमी0)** परियोजना के निर्माण हेतु **2.3500 हे0** वन भूमि नि0ख0 लो0नि0वि0, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त **कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।**

**उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष**
**उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति**
**तहसील–सोमेश्वर, जनपद अल्मोड़ा**

**प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

**उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष**
**उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति**
**तहसील–सोमेश्वर, जनपद अल्मोड़ा**

प्रपत्र–23.3

# परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी0)

## जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद–अल्मोड़ा के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित **जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5 किमी0)** हेतु **2.3500** हे0 वन भूमि नि0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति सोमेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

01.12.14

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

# प्रपत्र–23.4

## परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5.00 किमी0)

## जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद अल्मोड़ा में तहसील सोमेश्वर के अन्तर्गत शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार (लम्बाई 5 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु 2.3500........ हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे हैं।

29.09.14

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा.

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा